(b) The news-item referred to relates to a loan application of a resident of Sultanpur District (Uttar Pradesh) for acquiring a new truck with the financial assistance from Bank of Baroda branch at Sultanpur (Uttar Pradesh).

(c) Bank of Baroda which considered the application has reported that the project was not economically viable and could not be considered favorably.

Promotion of senior regional manager, Food Corporation of India, Punjab region

2106. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether an I.A.S. officer at present Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, is due for promotion in normal course;

(b) if s, the details thereof;

(c) whether Government are aware that with a view to continue on the present post the said official has refused promotion; and

(d) if so ,the details thereof and the reasons therefor in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा विदेश व्यापार हेतु अग्रिम की सुविधाएं

2107. **श्री कलाशपति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की दिल्ली शाखा ने विदेश व्यापार के तहत कुछ फर्मों को लगभग एक करोड़ रुपए के अग्रिम की सुविधा दी थी,

(ख) यदि हां, तो इतनी बड़ी रकम अथवा अग्रिम राशि की वसूली न किए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) बैंक द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उसकी चांदनी चौक शाखा ने दो आयातकों की ओर से कुछ प्रत्यय पत्र खोलने की अनुमति दी थी । आयातकों द्वारा प्रत्यय पत्रों से संबंधित दस्तावेज समय पर नहीं छुड़ाए गए । उक्त प्रत्यय पत्रों के अन्तर्गत आयातित कुछ माल बम्बई बन्दरगाह पर पड़ा है क्योंकि माल छुड़वाने के लिए आयात-निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित कुछ शर्तें पूरी नहीं की गई । परिणामस्वरूप 30 जून, 1986 को इन प्रत्यय पत्रों के कुल 76.98 लाख रुपये की रकम बकाया थी । चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर को अपनी रकमों की वसूली के प्रयासों में सफलता नहीं मिली इसलिए वह आयातकों/गारंटीकर्ताओं के विरुद्ध सिविल मुकदमें दायर करने की व्यवस्था कर रहा है । बैंक ने कर्मचारियों की तरफ से हुई प्रक्रियात्मक त्रुटियों की भी जांच की है । दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बैंक द्वारा स्टाफ से प्राप्त स्पष्टीकरणों की जांच की जा रही है ।

2108. [*Transfered to the 8th May*, 1987]

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की राजकोट शाखा द्वारा दिया गया ऋण

2109. **श्री रामसिंहभाई पातलीया-भाई राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार/कार्य करने के लिए अनेक व्यक्तियों ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की राजकोट शाखा से ऋण प्राप्त किया था लेकिन

व्यापार/कार्य न करके उन्होंने बैंक को धोखा दिया है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इन व्यक्तियों ने ऋण की कितनी धनराशि ली थी तथा इन व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;और

(ग) बैंक द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है और उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार देने की योजना के अंतर्गत व्यापार, धन्धा शुरु करने के लिए बैंक की राजकोट शाखा ने ऋणकर्ताओं ने ऋण प्राप्त किए थे । लेकिन उन्होंने ऋण की रकम का उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया, जिसके लिए उन्हें ऋण दिया गया था । इन ऋण कर्ताओं को कुल मिलाकर 1.36 लाख रुपये की ऋण सीमाएं मंजूर की गई थीं और इन खातों में ऋण की 1.73 लाख रुपये की राशि बकाया है । ये ऋण बैलिंग और खराद की मशीन लगाने तथा बर्तन, किराना तथा पान बीड़ी आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए मंजूर किए गये थे । बैंक ने अपने हितों की रक्षा तथा बकाया ऋणों की वसूली के लिए अपराधिक सिविल मामले दायर कर दिए हैं । लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण [illegible] करने वाले कानूनों तथा बैंकों [illegible] रीति-रिवाजों के अनुसार अलग-अलग ऋण खातों के नाम और ऋण राशियों का ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता है ।

Meeting of the Gujarat Chief Minister with the Prime Minister

2110. SHRI RAMSINGHBHAI PATALIYABHAI RATHVAKOLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Gujarat had met the Prime Minister during the period between 1st January, and 20th April, 1987 and had discussed various issues, problems and projects of Gujarat for sanction and clearance;

(b) if so, what are the details of the said talks and the letters and memoranda received by the Prime Minister in this regard;

(c) what action has been taken in the matter; and

(d) when the next round of talks for clearance of various projects pending for long in the Centre is likely to be held?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SUKH RAM) (a) and (b) Yes, Sir. The Chief Minister, Gujarat has addressed letters to Prime Minister on:

(1) Allocation of gas for power generation.

(2) Additional Special Central Assistance to meet drinking water scarcity in drought affected areas in the State.

(3) Establishment of a Cracker Complex at Kawas near Surat;

(4) Establishment of Electronic Complex in the tribal taluka, Vyara.

(c) The proposals are under examination of concerned Central Ministries.

(d) No date has been fixed.

Loans given by Rajkot Nagrik Bank Ltd.

2111. SHRI RAMSINGHBHAI PATALIYABHAI RATHVAKOLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chairman, ex-chairman, Directors, ex-Directors and others of Rajkot Nagrik Bank Ltd., of Rajkot in Gujarat State are involved in land grabing and other illegal acts and activities;

(b) whether it is also a fact that there are complaints that loans amounting to crores of rupees have been given by the said bank on such land of which even title have not been cleared; and

(c) if so, the details thereof and the action taken on each such ones who are